introduce new disciplines in emerging technologies in the existing technical colleges. It is not possible to give estimate of expenditure involved for opening new technical and science colleges merely on the basis of the demand.

(b) As it is contemplated to train technical and science students in the fields where employment opportunities are more, it is proposed to increase the intake of some of the existing courses and introduce new related disciplines.

Students desirous for getting admission in engineering and other technical institutions in the country

3166. SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV:
SHRI PRABHAKAR B. KORE:
SHRI H. HANUMANTHAPPA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the number of students who get through every year in XIIth standard and what is the number, which is desirous for getting the admission in Medical, Engineering and technical institutions in the country;

(b) what would be the technical manpower created during the Eighth Five Year Plan period; and

(c) in what manner it would be engaged or employed and what is the plan thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a) The information is being collected.

(b) On the basis of the intake of students to technical institutions, who constitute fresh technical manpower for the Eighth Plan, it is estimated that 2.00 lakh Graduate and 3.00 lakh technicians will be added during the Eighth Plan period.

(c) Eighth Plan Emphasizes more opportunities of employment. However, it is not possible specifically to give figures of employment opportunities available for these technical personnel.

भारतीय सांख्यिकीय सेवाओं की संवर्ग-समीक्षा

3167. **श्री अनन्त राम जायसवाल :** क्या **प्रधान मंत्री** 7 अगस्त, 1990 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 36 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रेणी IV से श्रेणी III में पदों के उन्नत किए जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा स्थगनादेश पारित करने की निश्चित तिथि क्या है और उन तिथियों से पूर्व संवर्ग समीक्षा न कराए जाने के क्या कारण एवं कठिनाइयां थीं ;

(ख) क्या उक्त सेवा की संवर्ग समीक्षा के लिए योजना मंत्रालय पूरी तरह से जिम्मेदार है ; यदि हां, तो क्या इस संबंध में कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की ज रही है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्य कारण हैं ; और

(ग) यह मामला न्यायाधिकरण के समक्ष कब लाया गया था और जुलाई, 1990 तक इस मामले में कितनी बार; सुनवाई हो चुकी थी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भाग्ये गोबर्धन) : (क) और (ख) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की मुख्य न्यायपीठ ने 21-8-87 को अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय सांख्यिकीय सेवा और भारतीय आर्थिक सेवा में श्रेणी IV के पदों की श्रेणी III में परिवर्तित करने के संबंध में स्थगनादेश जारी किया था । संबध नियंत्रण प्राधिकरण (16-10-84 तक कार्मिक विभाग तथा उसके बाद सांख्यिकीय विभाग) भारतीय सांख्यिकीय सेवा के मामले में संवर्ग की समीक्षा करने के लिए मुख्य

समीक्षा करने के लिए मुख्य रूप से संबंधित है। संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण भारतीय सांख्यिकीय सेवा की पुनः संरचना की आवश्यकता के प्रति सचेत रहा है। फिर भी यह पाया गया था कि समूह "क" की अन्य केन्द्रीय सेवाओं पर यथा लागू संवर्ग समीक्षा की संकल्पना जो केवल एक विभाग की आवश्यकताओं को पूरा करती है, इन सेवाओं (भारतीय सांख्यिकीय सेवा और भारतीय आर्थिक सेवा) पर लागू नहीं हो सकती। तदनुसार इन वर्षों के दौरान कार्यवाही संकेन्द्रित रही जिसके मुख्य पहलू इस प्रकार थे—संवर्ग में और पदों को शामिल करके स्थिति सुधारना, उच्च स्तरों (कनिष्ठ, प्रशासनिक श्रेणी से ऊपर) पर संवर्ग पद शुरू करना तथा एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में पदों का दर्जा बढ़ाना। ऐसे उपायों के परिणामस्वरूप संवर्ग में वरिष्ठ समय वेतनमान से ऊपर के पद इस समय 28 प्रतिशत हैं जो सेवा को गठित करने के समय 12 प्रतिशत थे।

(ग) भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित स्थगनादेश केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मुख्य न्यायपीठ, डीए 698/86 और डीए 1156/86—कपिल के मामले मे, निर्णय में सिविल अवमानना याचिका के संबंध में जारी किया गया था उच्चतम न्यायालय इस मामले में दो विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार कर रहा है केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, मुख्य न्यायपीठ ने 5-4-88 को आदेश दिया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों की प्रतीक्षा में सिविल अवमानता याचिका तथा मामले को उपयुक्त आदेशों के लिए इसके बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चूंकि उच्चतम न्यायालय ने अभी तक विशेष अनुमति याचिका पर निर्णय नहीं दिया है इसलिए न्यायाधिकरण ने मामले में अभी आगे कोई सुनवाई नहीं की है।

Defiance of pollution control measures by industries as offence

3168. SHRI KAPIL VERMA:
SHRIMATI VEENA VERMA:
KUMARI SAYEEDA KHATUN:

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government propose to declare defiance of pollution control measures by industries, willful or otherwise, as an offence with criminal liability, with the onus on the industrial unit to prove its innocence; and

(b) if so, the details of the measures and the reasons behind it.

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI NILAMANI ROUTRAY): (a) There is no such proposal under consideration of the Government.

(b) Does not arise.

कानपुर में चकेरी हवाई अड्डे पर मिग-21 का कबाड़ के व्यापारियों को बेचा जाना

3169. **श्री कपिल वर्मा :**
कुमारी आलिया :
श्रीमती वीणा वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जुलाई, 1990 के समाचार पत्रों में प्रकाशित इस खबर की ओर दिलाया गया है कि कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा भारी सुरक्षा प्रबंध के बावजूद रूसी मिग-21 लड़ाकू विमान को कबाड़ के व्यापारियों को बेचा गया था; यदि हां, तो विमान के मूल्य सहित उसका ब्यौरा क्या है;